कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/पीएसपी–सी/अ–2/60567/के.मा.शि.बो./वो–1/2023–24/29 दिनांक : 22-12-2022

विस्तृत विज्ञप्ति

विभाग द्वारा राज्य में सचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने के संबंध में इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2023–24 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(50) शिक्षा–5/सीबीएसई एनओसी/2022 दिनांक 22.12.2022 की अनुपालना में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

विज्ञप्ति टाईम–फ्रेम			
क्र. सं.	विवरण	निर्धारित समयावधि	संबंधित कार्यालय
1.	विद्यालय/संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन पत्र एवं पत्रावली में संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करने हेतु (सामान्य शुल्क के साथ) अन्तिम तिथि	26.12.2022 से 25.01.2023 तक	संबंधित संस्था/विद्यालय
2.	विद्यालय/संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन पत्र एवं पत्रावली में संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करने हेतु (विलम्ब शुल्क के साथ) अन्तिम तिथि	26.01.2023 से 31.01.2023 तक	संबंधित संस्था/विद्यालय
3.	निरीक्षण दल का ऑटो जनरेटेड गठन	संबंधित संस्था द्वारा आवेदन को लॉक किये जाने के 05 दिवस पश्चात	एनआईसी एवं जिशिअ कार्यालय
4.	ऑनलाईन आटो जनरेटेड निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करना।	दल गठन के 05 दिवस के भीतर	निरीक्षण दल प्रभारी
5.	निरीक्षण दल द्वारा संबंधित संस्था से डी.डी प्राप्त करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करना एवं निरीक्षण प्रतिवेदन मय आवेदन पत्र पत्रावली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जमा करवाना	निरीक्षण के 02 दिवस के भीतर	निरीक्षण दल प्रभारी
6.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा संबंधित विद्यालय के आवेदन पत्र की संवीक्षा हेतु अभिशंसा कनेटी का गठन किया जाकर परीक्षण करना यदि कोई आक्षेप हो तो ऑनलाईन आक्षेप 03 दिवस के भीतर लगाकर आक्षेप पूर्ति उपरान्त 02 दिवस के भीतर अपनी अभिशंसा मय टिप्पणी निदेशालय को अग्रेषित करना	प्रकरण कार्यालय में प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर	संबंधित जिशिअ
7.	नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के दस्तावेजों सहित मूल पत्रावली स्पष्ट अभिशंसा एवं टिप्पणी कर निदेशालय बीकानेर को भिजवाने हेतु अंतिम तिथि	25.02.2023	संबंधित जिशिअ
8.	निदेशालय द्वारा प्राप्त प्रकरण का परीक्षण कर यदि कोई आक्षेप हो तो आक्षेप लगाकर ऑफलाईन/ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति की 03 दिवस के भीतर करवाने के उपरान्त टिप्पणी सहित एनओसी. हेतु अनुमोदन जारी करना	10.03.2023 तक	निदेशालय
9.	निदेशालय द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों से संबंधित डी.डी. शुल्क प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित विद्यालय को आदेश की प्रति उपलब्ध करवाते हुए विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित करना।	15.03.2023 तक	निदेशालय

सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, शुल्क विवरण,निरीक्षण प्रतिवेदन,दिशा–निर्देश आदि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कार्यालय एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) (https://rajpsp.nic.in/PSP2/Home/Home.aspx) तथा विभागीय वेबसाईटः–(https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondaryeducation/en/order/PSP.html) पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

सम्बद्धता 2023–24 हेतु NOC जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

विभाग द्वारा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते है।

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जिस कक्षा स्तर तक की एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है पूर्व में उस कक्षा स्तर की मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं है तो विद्यालय को उस न्यूनतम कक्षा स्तर की एनओसी प्रदान की जायेगी जिसकी मान्यता विद्यालय ने प्राप्त कर रखी है एवं उस कक्षा स्तर तक के सभी मापदंड विद्यालय पूर्ण करता हो।
2. एनओसी में उल्लेखित कक्षा–स्तर की अन्य बोर्ड से सबंद्धता प्राप्त करने के पश्चात् उच्च कक्षा–स्तर की संबंद्धता लेने से पूर्व विद्यालय को उच्च कक्षा–स्तर की विभाग द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता/क्रमोन्नति प्रदान करते समय जो मापदंड एवं शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की गई है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को प्राप्त मान्यता कक्षा स्तर की एनओसी प्रदान की जायेगी अर्थात् राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कक्षा स्तर के सभी वर्णित मापदंड को ध्यान में रखते हुए एनओसी स्वीकृत की जायेगी।
4. संबद्धता हेतु एनओसी का आवेदन करते समय विद्यालय/संस्था, विद्यालय का नाम एवं पता पूर्व में जारी किये गये मान्यता आदेशों से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में विद्यालय का नाम वही अंकित है जिस नाम से पूर्व में मान्यता/क्रमोन्नति प्रदान की गई हैं। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उसे आवेदन से पूर्व ही सही करवाकर आवेदन करें। आवेदन लॉक होने के पश्चात् यदि विद्यालय के नाम/पते में संशोधन आवश्यक है तो आवेदन लॉक होने के पांच दिवस तक विद्यालय आवश्यक संशोधन कर सकेगा। पांच दिवस पश्चात् संस्था द्वारा के विद्यालय के नाम अथवा पते के संशोधन के संबंध में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/परिवेदनाओं को शास्ति शुल्क (30000 रूपये) सहित आवेदन स्वीकार किया जाएगा। नियमानुसार परीक्षणोपरांत संशोधन जारी किया जाएगा।
5. वर्तमान में विद्यालय जिस माध्यम में संचालित किया जा रहा है। एनओसी भी उसी माध्यम के अनुरूप ही प्रदान की जावेगी। अर्थात यदि विद्यालय हिन्दी माध्यम में संचालित है तो अन्य बोर्ड से संबद्धता प्रदान करने हेतु एनओसी भी हिन्दी माध्यम हेतु प्रदान की जावेगी।
6. विद्यालय द्वारा किये गये आवेदन में आवेदन क्रमांक में एनओसी (NOC) के अंकन के साथ वर्ष का अंकन किया जावे तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक जनरेट हो। उदाहरण के तौर पर **NOC20230001** ।
7. पूर्व के सत्रों में विद्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में शिक्षा ग्रुप–1 द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल में सुविधा उपलब्ध करवाई

जाती रही है। जिससे प्रक्रियागत विलम्ब/विद्यालयों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। शासन के आदेश दिनांक 30.03.2022 की अनुपालना में प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने हेतु ग्रुप–1 के स्थान पर निदेशालय के लॉगईन में सुविधा उपलब्ध सुविधा उपलब्ध है। सीबीएसई एनओसी विलम्ब शुल्क से आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित विलम्ब शुल्क एवं आवेदन शुल्क की राशि का डी.डी जिशिअ कार्यालय/निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर (पीएसपी अनुभाग) में जमा करवाये जाने की तिथि 30.01.2023 निर्धारित की जाती है।

8. आवेदन शुल्क/विलम्ब आवेदन शुल्क/शिथिलन शुल्क/एन.ओ.सी. शुल्क आदि समस्त प्रकार के शुल्क सचिव बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, जयपुर के नाम से डी.डी के माध्यम से लिए जाएंगे।
9. एन.ओ.सी नवीनीकरण के आवेदन भी सामान्य आवेदनों के साथ ऑन लाईन लिए जाएंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया नवीन एन.ओ.सी जारी करने की प्रक्रिया की भांति ही रहेगी।
10. सत्र 2023–24 के अनुसार निदेशालय स्तर से विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए जिशिअ कार्यालय स्तर पर गठित निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण उपरान्त जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक कार्यालय में प्रस्तुत निरीक्षण पत्र मय पत्रावली के संबंध में जिशिअ स्तर पर गठित अनुशंसा समिति द्वारा अनुशंसित किये गए प्रकरणों को जिशिअ द्वारा मय स्पष्ट अभिशंसा निदेशालय को प्रेषित किये जाएंगे। निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी के अनुमोदन उपरांत एन.ओ.सी शुल्क प्राप्त कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा एन.ओ.सी जारी की जायेगी।
11. निरीक्षण दल के सदस्य
 1. प्राचार्य– दल प्रभारी
 2. उप प्राचार्य/व्याख्याता–दल सदस्य
 3. मंत्रालय कार्मिक/लेखाकर्मी–दल सदस्य
12. जिला स्तर पर अनुशंसा समिति का निम्नानुसार गठन प्रस्तावित है–
 1. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (समकक्ष प्राचार्य) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
 2. संबंधित ब्लॉक का पीईईओ/प्राचार्य
 3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लेखाधिकारी
 4. संबंधित लिपिक–जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

 – उक्त गठित समिति समयबद्ध तरीके से संवीक्षा कर अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
13. निदेशालय स्तर पर गठित अनुमोदन कमेटी सदस्य
 1. उप निदेशक माध्यमिक अनुभाग
 2. जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
 3. उप निदेशक आर.टी.ई अनुभाग
 4. सहायक निदेशक पीएसपी अनुभाग

 सहायक निदेशक पीएसपी अनुभाग द्वारा समस्त आवेदित प्रकरण, अनुभाग स्तर पर परीक्षणोपरान्त अनुमोदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।
14. निदेशालय स्तर पर जांच में आक्षेप पाए जाने की स्थिति में संबंधित संस्था/विद्यालय को आक्षेप पूर्ति हेतु 3 दिवस का समय दिया जाकर संबंधित आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन/ऑफलाईन किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया जावेगा। आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड/ऑफलाईन प्रेषित दस्तावेज संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षर पदनाम मोहर के साथ प्रमाणित कर भिजवाने पर ही मान्य होंगे। निर्धारित समयावधि में आक्षेप

पूर्ति नहीं किये जाने पर प्रकरण ऑटोलॉक होकर संबंधित कार्यालय के लॉगिन में प्रदर्शित होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

15. स्कूल शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 14(8) शिक्षा–1/2009/पार्ट–8 दिनांक 30.03.2022 के बिन्दु संख्या 12 व 13 के अनुसार निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (**NOC**) के संबंध में आवेदन करने वाली संस्थाओं की किसी भी स्तर पर परिवेदना होने पर एन.ओ.सी. जारी किये जाने के **एक सप्ताह** के भीतर विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अपील प्रस्तुत कर सकेगें एवं प्राप्त अपीलों का निस्तारण विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के स्तर पर एक सप्ताह में किया जायेगा।

संबद्धता हेतु NOC शुल्क विवरण

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को CBSE/CISCE/CAIE, नई दिल्ली हेतु 2023–24 में संबद्धता हेतु शुल्क विवरण:–

आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (आवेदन में शिथिलन के प्रकरणों में आवेदन शुल्क के साथ शिथिलन शुल्क/विलम्ब शुल्क जैसी भी स्थिति हो,अनिवार्य रूप से देय होगा)					
क्र. स.		विद्यालय में कक्षा संचालन स्तर	सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क	एनओसी शुल्क
1.	अ	आवेदन शुल्क – उ.प्रा.वि.	25000	100000	60000
	ब	आवेदन शुल्क– मा.वि/उ.मा.वि. हेतु	30000	125000	75000
शिथिलन शुल्क					
					वर्तमान शुल्क
2	अ	एक सत्र के शिथिलन पर– आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 6 के साथ 7 (उ.प्रा.वि)/कक्षा 9 के साथ 10 (मा.वि)/11 के साथ 12 (उ.मा.वि) सत्र 2022–23 से संचालित हो रही हो)–			35000
	ब	दो सत्र के शिथिलन पर– आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 6 के साथ 7 एवं 8 (उप्रावि)/ कक्षा 8 के साथ 9 एवं 10 (मावि)/कक्षा 10 के साथ 11 एवं 12 (उमावि) सत्र 2022–23 से संचालित हो रही हो)–			55000
	स	तीन सत्र के शिथिलन पर– आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 9 के साथ 10 एवं 11 ,12 सत्र 2022–23 से संचालित हो रही हो)– उमावि स्तर के लिये –			75000

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित विद्यालय को आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क/शिथिलन शुल्क/एनओसी शुल्क की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
2. विशिष्ट विद्यालय (विशेष योग्यजन/दिव्यांग) के सम्बन्ध में आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा एवं एनओसी शुल्क/शिथिलन शुल्क नियमानुसार लिया जाता है।

संलग्न–दस्तावेज सूची

1. संस्था के पंजीयन आदेश एवं विधान की प्रति
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति की रजिस्टर्ड कार्यकारिणी की नवीनतम प्रति (जो 2 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो)
3. विद्यालय की मान्यता, क्रमोन्नति एवं सम्बद्धता आदेश की प्रति
4. विद्यालय परिसर एवं निर्मित कक्षा–कक्षों आदि का माप दर्शित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट
5. विद्यालय भवन के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
6. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी द्वारा फीस निर्धारण बाबत जारी आदेश की प्रति
7. विद्यालय भवन के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज/रजिस्टर्ड किरायानामा/रजिस्टर्ड लीजडीड की प्रति (विद्यालय की भूमि के माप के अनुसार) खेल मैदान सहित
8. विद्यालय भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ/संस्थानिक संपरिवर्तन के दस्तावेज/प्राधिकृत स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत विद्यालय संचालन की अनुमति पत्र
9. नियोजित स्टॉफ का संस्थापन विवरण मय शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, पद एवं नियोजन तिथि
10. अपेंडिक्स 2 एवं 3
11. कुल कक्ष–कक्षों का माप सहित विवरण
12. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
13. आरक्षित कोष पेटे जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में निर्धारित राशि की एफडीआर
14. संस्था की गत 03 वर्ष की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट
15. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के क्रम में पारित प्रस्ताव की प्रति
16. विद्यालय में मोबाईल टावर एवं हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं होने का प्रमाण पत्र
17. अग्निशमन यंत्र/रैम्प होने का प्रमाण पत्र
18. अन्य वांछित/आवश्यक दस्तावेज

सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2023–24 हेतु शपथ पत्र

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय की पंजीकृत संस्था के सचिव/अध्यक्ष को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र प्रारूप –

–: शपथ पत्र :–

मनके पुत्र/पुत्री श्री..... जाति उम्र स्थायी निवासी.....
.....(पूर्ण पता लिखें) फोन न.शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :–

i) विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 और समय–समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।

ii) राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016, नियम 2017 की अक्षरक्षः पालना की जावेगी।

iii) समय–समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की अक्षरक्षः पालना की जावेगी।

iv) संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरशः पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण की गई राशि का विवरण भी शपथ पत्र में दिया जाना आवश्यक है जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगाः–

क.सं.	सत्र	कक्षा कक्ष की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रो की संख्या	आरटीई. के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित जिशिअ द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुनर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि

v) विभाग द्वारा जारी मान्यता/क्रमोन्नति के कक्षा स्तरो तक ही सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सम्बद्धता प्राप्त की जावेगी।

vi) विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड/सीआईएससीई. से सम्बद्धता मिलने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।

vii) विद्यालय परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।

viii) विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।

ix) विद्यालय परिसर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।

x) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रेम्प निर्धारित मापदण्डानुसार है।

xi) कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।

xii) कार्यरत समस्त स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगतान जरिए बैंक खाता किया जाता है।

xiii) सचिव, सीबीएससी के परिपत्र क्रमांक CBSE/AFF-BYELAWS/Circular No.03/2019/144946 दिनांक 30.01.2019 में वर्णित सभी बिन्दुओ की पालना की गई है।

xiv) विद्यालय द्वारा "Rehabilitation of Persons with disabilities Act 2016" की पूर्ण पालना की जावेगी।

xv) विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है /नहीं है..... (कार्यवाही की प्रति सलग्न).

xvi) विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है/नही है..... (निर्णयादेश/दण्डादेश की प्रति सलग्न)

हस्ताक्षर

शपथगृहिता (सचिव संस्था)

CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/सम्बद्धता नवीनीकरण संबंधी ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा
.....

महोदय,

आवेदन का प्रकार–सम्बन्धित को टिक (✓) करे	
CBSE से सम्बद्धता	☐
CBSE से सम्बद्धता नवीनीकरण	☐
CISCE से सम्बद्धता	☐
CAIE से सम्बद्धता	☐

उक्त चिन्हित विषय के क्रम में विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है–

1. विद्यालय का नाम व पता
 डाईस कोड.....
 पीएसपी कोडईमेल आईडी दूरभाष
 मोबाईल
 विद्यालय का वर्तमान पता –.....

2. विभाग द्वारा पूर्व में जारी मान्यता/क्रमोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक
3(A) अध्यापन का माध्यम–हिन्दी ☐ /अंग्रेजी☐ /हिन्दी–अंग्रेजी ☐
3.(B) निर्धारित शुल्क की राशि का बालिका शिक्षा फाउण्डेशन का डी.डी नम्बरः– ☐ डी.डी दिनांकः– ☐
(आवश्यक रूप से भरा जाना है)
4(A) नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में **CBSE/CISCE/CAIE** की संबद्वता हेतु प्रदत्त एनओसी की दिनांक (पूर्व में जारी एनओसी की प्रति संलग्न करें)
4(B) **CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की प्रति संलग्न करें(सम्बद्धता नवीनीकरण के आवेदन के सम्बन्ध में)**.....
5. उच्च माध्यमिक स्तर पर संचालित संकाय एवं अध्यापन विषय –
 विज्ञान संकाय ☐
 वाणिज्य संकाय ☐
 कला संकाय ☐
 कृषि विज्ञान संकाय ☐
6. विद्यालय संचालनकर्ता संस्था का नाम व पूर्ण विवरण
 1. नाम.....
 2. संस्था का कार्यक्षेत्र
 3. दूरभाष/मोबाईल
 4. ईमेल आईडी
 5. अध्यक्ष का नाम
 6. सचिव का नाम
 7. संस्था के पंजीयन का विवरण
 पंजीयन संख्या वर्ष दिनांक
7. संस्था संविधान के अनुसार संस्था संचालन का उद्देश्य
 कार्यकारिणी में कुल सदस्य संख्या
 कार्यकारिणी की अन्तिम बैठक दिनांक
 गत 02 तिमाही में आयोजित बैठको की दिनांक (1) दिनांक (2)
8. संस्था कार्यकारिणी द्वारा उपर्युक्तानुसार वर्णित आवेदन हेतु बैठक में लिए गए सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु आयोजित बैठक का विवरण

बैठक दिनांक	उपस्थित सदस्यों की संख्या	सम्बन्धित पारित प्रस्ताव का विवरण

9. गत शैक्षिक सत्र में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षानुसार संख्यात्मक विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में विवरण संलग्न करें)

क्र. स.	कक्षा	प्रवेशित छात्र संख्या	परीक्षा में प्रविष्ट छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	आर.टी.ई अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेशित छात्र संख्या	सरकार द्वारा पुनर्भरण की गई राशि

10. विद्यालय के निकट स्थापित राजकीय मावि/उमावि से दूरी..... किमी एवं नाम.....
11. गत शैक्षिक सत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार प्रवेशित छात्र संख्या
12. राज्यस्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक एवं कक्षानुसार निर्धारित फीस का विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में कक्षावार फीस का विवरण संलग्न करें)

क्र.स.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित फीस राशि

13. कार्यरत स्टाफ की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता का विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में विवरण संलग्न करें)

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्मतिथि	नियोजन तिथि	शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता	वेतनमान	कुल देय वेतन

14. सम्बद्धता–माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सम्बद्धता क्रमांक दिनांक
15. विद्यालय पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस बोर्ड का विवरण– CBSE/CISCE/CAIE सम्बद्धता वर्ष
16. विद्यालय भूमि का माप (वर्गमीटर में) –
17. विद्यालय भवन में कुल कमरों की संख्या
18. विद्यालय की अवस्थिति शहरी/ ग्रामीण
19. विद्यालय भवन का स्वामित्व विवरण – स्वयं का स्वामित्व/लीजडीड/किराए पर
20. विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हाँ तो विवरण मय प्रति सलंग्न करें।.....
21. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....
22. आवेदन शुल्क हेतु बैंक चालान का विवरण दिनांक राशि

उक्त के क्रम में वांछित दस्तावेज संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत किए जा रहें हैं। कृपया शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए विद्यालय की CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को अग्रेषित करने का श्रम करावें। विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति जारी करने पर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा कराये जाने वाली राशि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कार्यालय में जरिए डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने की सहमति प्रदान करता हूँ।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर संस्था सचिव
मय मुहर

निजी विद्यालय का नामः–आवेदन क्रमांक.....

(**CBSE/CISCE/CAIE** से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र/नवीनीकरण आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 09 एवं 11 हेतु ऑटोजनरेट परिशिष्ट)

गत शैक्षिक सत्र में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षानुसार संख्यात्मक विवरणः–

क.सं.	कक्षा	प्रवेशित कुल छात्र संख्या	परीक्षा में प्रविष्ठ छात्र संख्या	उतीर्ण छात्र संख्या	आरटीई अधिनियिम के तहत निःशुल्क प्रवेशित छात्र संख्या	आरटीई अधिनियम के तहत पुनर्भरण की गई राशि
1	PP3+					
2	PP4+					
3	PP5+					
4	First					
5	Second					
6	Third					
7	Fourth					
8	Fifth					
9	Sixth					
10	Seventh					
11	Eighth					
12	Ninth					
13	Tenth					
14	Eleventh (Science)					
15	Twelfth (Science)					
16	Eleventh (Arts)					
17	Twelfth (Arts)					
18	Eleventh (Commerce)					
19	Twelth (Commerce)					
20	Eleventh (Agriculture)					
21	Twelfth (Agriculture)					

गत शैक्षिक सत्र में निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं नियम 2011 के प्रावधानुसार प्रवेशित छात्र संख्याः–

हस्ताक्षर

सोसाइटी सचिव

निजी विद्यालय का नामः– आवेदन क्रमांक.....

(CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र/नवीनीकरण आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 12 हेतु ऑटोजनरेट परिशिष्ट)

फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस का विवरणः–

क्र.सं.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित फीस राशि (अंग्रेजी माध्यम)	निर्धारित फीस राशि (हिन्दी माध्यम)
1	PP3+		
2	PP4+		
3	PP5+		
4	First		
5	Second		
6	Third		
7	Fourth		
8	Fifth		
9	Sixth		
10	Seventh		
11	Eighth		
12	Ninth		
13	Tenth		
14	Eleventh (Science)		
15	Twelfth (Science)		
16	Eleventh (Arts)		
17	Twelfth (Arts)		
18	Eleventh (Commerce)		
19	Twelfth (Commerce)		
20	Eleventh (Agriculture)		
21	Twelfth (Agriculture)		

हस्ताक्षर

सोसाइटी सचिव

परिशिष्टः–1

(आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 13 हेतु विद्यालय द्वारा भरा जाने वाला परिशिष्ट)

निजी विद्यालय का नामः– जिला.....

आवेदन क्रमांक.....पीएसपी कोड.....

कार्यरत समस्त कर्मचारियों का संस्थापन विवरणः–

क्र. सं	नाम कर्मचारी मय पद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	योग्यता		वेतनमान/वेतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नगद/बैंक खाते के माध्यम से	निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन एवं टिप्पणी
				शैक्षिक	प्रशैक्षिक			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

विद्यालय के संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय सील

निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निरीक्षण प्रतिवेदन

आवेदन क्रमांक..... जिला

क्र. स.	विवरण	विद्यालय द्वारा भरा गया विवरण	आवेदित संस्था द्वारा भरे गये विवरण का प्रस्तुत दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर अनुपालना हां/नहीं/टिप्पणी (कक्षा–कक्षों/अन्य कक्षों/भूमि की माप वर्गमीटर में अंकित की जानी अनिवार्य	विवरण के संबंध में पत्रावली संलग्न दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या
1	निजी विद्यालय का नाम मय पीएसपी कोड विद्यालय डाईस कोड संख्या			
2	संस्था का नाम एवं संचालन का परिक्षेत्र			
3	विद्यालय सोसाईटी परिक्षेत्र में संचालित होना चाहिए– है अथवा नहीं			
4	संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक (प्रति संलग्न)			
5	रजिस्ट्रार से प्रमाणित विधान की (प्रति संलग्न)			
6	रजिस्ट्रार से प्रमाणित सोसाईटी/न्यास/प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नामो की प्रति (प्रति संलग्न)			
7	प्रबन्ध समिति द्वारा पारित सम्बद्धता प्रस्ताव की समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रति (प्रति संलग्न)			
8	विद्यालय को जारी मान्यता आदेश की प्रतियां	विद्यालय का स्थापना वर्ष–		
9	विद्यालय का वर्तमान संचालन स्तर – उप्रावि/मावि/उमावि (प्रति संलग्न)			
10	संस्था में अध्यापन का माध्यम– हिन्दी/अंग्रेजी/हिन्दी एवं अंग्रेजी			
11	वर्तमान में सम्बद्धता किस बोर्ड से प्राप्त है			
12	किस कक्षा स्तर हेतु सम्बद्धता आवेदन किया गया है			
13	फीस निर्धारण समिति के नियमानुसार गठन आदेश(प्रति संलग्न)			
दल–प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)		दल सदस्य– प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य–द्वितीय(हस्ताक्षर)	

14	फीस निर्धारण समिति द्वारा विद्यालय को स्वीकृत कक्षा स्तरों तक का कक्षावार निर्धारित फीस का समस्त सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पारित विवरण (प्रतिसंलग्न)				
15	विद्यालय भवन सहित कुल भूमि का सहायक अभियंता द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट जिस पर प्लॉट न./खसरा न./माप अंकित किया गया हो, (प्रतिसंलग्न)				
16	विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल (न्यूनतम 1 एकड अनिवार्य/4000 वर्ग मी.)	विद्यालय भवन का माप			
		खेल मैदान का माप			
		विद्यालय परिसर का कुल माप			
17	विद्यालय भूमि–भवन की स्थिति स्वयं का होने पर (भूस्वामित्व के दस्तावेज) एवं भूमि भवन किराये का होने पर (रजिस्टर्ड किरायानामा)	स्वयं	माप–		
		किराये पर	माप–		
18	खेल मैदान का माप एवं स्वामित्व की स्थिति (स्वयं/किराया)	स्वयं	माप–		
		किराये पर	माप–		
19	विद्यालय एक ही परिसर में (भवन एवं खेल मैदान सहित) संचालित है अथवा नहीं	विद्यालय एक ही परिसर में होना अनिवार्य है।			
20	विद्यालय परिसर की पक्की चारदीवारी निर्मित है अथवा नहीं				
21	भूमि का प्रकार– कृषि/आवासीय/संस्थानिक/शैक्षणिक	ग्रामीण	ग्राम पंचायत का आवासीय पट्टा ◯	1 एकड (4000 वर्गमी.) तक की कृषि भूमि ◯	1 एकड से अधिक कृषि भूमि ◯
		शहरी	जेडीए/नगर निगम ◯	नगरपालिका/नगरपरिषद् ◯	
22	खेल मैदान का माप एवं स्वामित्व की स्थिति (स्वयं/किराया)	स्वयं			
		किराये पर			
23	भौतिक सत्यापन के आधार पर कमरो की संख्या एवं माप (कक्षवार विवरण संलग्न करें)	कुल कक्षा कक्षों की संख्या			
		मापदण्डानुसार कक्षा कक्षो की संख्या (8×6 वर्ग मी.)			
24	विद्यालय में संचालित विषयवार प्रयोगशाला उपकरण सहित औसत माप	कुल प्रयोगशाला की संख्या			
		निर्धारित मापदण्डानुसार है अथवा नहीं (9×12 वर्गमी)			
दल–प्रभारी (हस्ताक्षर)		दल सदस्य– प्रथम (हस्ताक्षर)		दल सदस्य–द्वितीय(हस्ताक्षर)	

25	कम्प्यूटर लैब जिसमें 20 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट उपलब्ध है अथवा नहीं	औसत माप(9×12 वर्ग मी.)			
26	पुस्तकालय	निर्धारित मापदण्डानुसार है अथवा नहीं (14×8 वर्ग मी.)			
27	वाचनालय एवं बहुउद्देशीय हॉल				
28	पीडब्ल्यूडी अभियंता द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र				
29	विद्यालय में उपलब्ध छात्र–छात्राओं हेतु पृथक–पृथक कुल शौचालयो की संख्या	छात्रों हेतु –			
		छात्राओ हेतु –			
		कुल –			
30	छात्र संख्या अनुसार उपलब्ध दरी पट्टी / ड्यूल डेस्क / फर्नीचर	कक्षा 1 से 5 –			
		कक्षा 6 से 8 –			
		कक्षा 9 से 12 पृथक–पृथक–			
31	यदि पुराने भवन को परिवर्तित कराया गया है तो कारण मय आदेश प्रति मय नवीन भवन पता				
32	विद्यालय भवन, परिसर में मोबाईल टावर है अथवा नहीं				
33	विद्यालय भवन, परिसर के उपर से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है अथवा नहीं				
34	विद्यालय में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति				
35	विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की स्थिति				
36	विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है एवं इसके संचालन हेतु विद्यालय में कार्यरत कार्मिको को पूर्ण जानकारी प्राप्त है अथवा नहीं				
37	विद्यालय यदि 2 पारी में संचालित है तो स्वीकृति की प्रति				
38	विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम / पंचाग अंगीकृत है अथवा नहीं				
39	आरटीई अधिनियम की पालना में 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है अथवा नहीं				
40	राष्ट्रीयकृत बैंक / पोस्टऑफिस में रिर्जव फण्ड रखा गया है अथवा नहीं				
दल–प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)		दल सदस्य– प्रथम (हस्ताक्षर)		दल सदस्य–द्वितीय(हस्ताक्षर)	

41	गत 3 सत्रों का सी.ए. द्वारा जारी वित्तीय आय–व्यय का प्रमाण पत्र			
42	नियोजित कार्मिको के भविष्य निधि कटौति राशि (लागू होने की दशा में) मासिक राशि राजकोष में जमा करायी जाती है, निरीक्षण दल द्वारा अभिलेख से मिलान कर लिया गया है।	राशि		
43	सचिव, सीबीएससी के पत्रांक CBSE/AFF-BYELAWS/CircularNo.03/ 2019/144946 दिनांक 30-01-2019 को जारी परिपत्र के अनुसार पालना की गई है अथवा नहीं			
44	CBSE/CISCE से सम्बद्धता हेतु कार्यकारिणी द्वारा समस्त सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पारित प्रस्ताव की प्रतिसंलग्न अथवा नहीं			
45	संस्था द्वारा संचालित संकाय			
46	संस्था द्वारा संचालित संकायवार विषय			
47	अपेडिक्स–2 एवं अपेडिक्स–3 विद्यालय से प्राप्त कर भरी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है एवं समस्त सूचनाए सही भरी गई है अथवा नहीं			
48	संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा 100/–रूपए के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (संलग्न)			
दल–प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)		दल सदस्य– प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य–द्वितीय(हस्ताक्षर)	

अन्य वांछित सूचना

(क्रम संख्या 01 से 06)

1) विद्यालय को स्वीकृत स्तर तक शिक्षा सत्र..... में प्रवेशित छात्र संख्या का विवरण निम्नांकित प्रारूप में संलग्न करावें–

क्र.स.	कक्षा अनुसार विवरण अंकित करें	कुल नामांकन	निरीक्षण दिवस को उपस्थिति		आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र संख्या
			छात्र	छात्रा	

2) कार्यरत समस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण निम्नांकित प्रारूप में संलग्न करावें–

क्र.स.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	योग्यता	वेतनमान / वेतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नकद / बैंक खाते के माध्यम से

3) गत सत्र का परीक्षा परिणाम–

कक्षा	परीक्षा में शामिल	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा–8			
कक्षा–10			
कक्षा–12			

4) विद्यालय में कक्षा 1 से 5 चालू होने की दशा में शिक्षा का स्तर टिप्पणी –

.....

.....

5) विद्यालय भवन का उपयोग शैक्षणिक विद्यालय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ किये जाने पर निरीक्षण दल द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

6) समस्त दस्तावेज सुपाठ्य प्रतियो के साथ संलग्न किए जावें।

आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (सम्बद्वता / नवीनीकरण हेतु) एपेंडिक्स–2 (सम्बद्वता हेतु)एवं अपेडिक्स–3 (नवीनीकरण हेतु), एवं अन्य भूमि एवं संस्था से सम्बन्धित दस्तावेज विद्यालय से प्राप्त कर समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर भरे गए प्रपत्र पत्रावली के साथ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में जमा करवा दिए गए है।

उक्त विवरण के आधार पर संस्था द्वारा बाबत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है एवं स्वीकृति हेतु अभिशंसा की जाती है / निम्नांकित कारणों से स्वीकृति योग्य नहीं है–

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर मय दिनांक	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
निरीक्षण दल प्रभारी	निरीक्षण दल सदस्य–1	निरीक्षण दल सदस्य–2

परिशिष्टः–2

(निरीक्षण दल के बिन्दू संख्या 14 हेतु परिशिष्ट)

निजी विद्यालय का नामः– जिला.....

आवेदन क्रमांक..... पीएसपी कोड.....

राज्य में लागू राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 नियम 2017 के अनुसार गठित फीस निर्धारण समिति की सिफारिश अनुसार कक्षावार वसूले जाने वाले शुल्क का कक्षावार विवरणः–

क्र.सं.	कक्षा	कमेटी द्वारा निर्धारित फीस	विद्यालय द्वारा वसूली जाने वाली फीस	कमेटी का नियमानुसार गठन का आदेश मय दिनांक	निरीक्षण दल की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	PP3+				
2	PP4+				
3	PP5+				
4	First				
5	Second				
6	Third				
7	Fourth				
8	Fifth				
9	Sixth				
10	Seventh				
11	Eighth				
12	Ninth				
13	Tenth				
14	Eleventh (Science)				
15	Twelfth (Science)				
16	Eleventh (Arts)				
17	Twelfth (Arts)				
18	Eleventh (Commerce)				
19	Twelfth (Commerce)				
20	Eleventh (Agriculture)				
21	Twelfth (Agriculture)				

नोटः– बिन्दु संख्या 1 से 21 के कॉलम संख्या 2 से 5 संस्था सचिव द्वारा भरा जाना है एवं निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन किया जाना है।

विद्यालय के संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय सील

दल–प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)	दल सदस्य– प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य–द्वितीय(हस्ताक्षर)

(निरीक्षण दल के बिन्दु संख्या 23 हेतु परिशिष्ट)

निजी विद्यालय का नामः– जिला.....

आवेदन क्रमांक.....पीएसपी कोड.....

नोटः–कक्षा कक्ष का माप मीटर में भरा जाना अनिवार्य है, अन्य किसी माप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।)

		विद्यालय द्वारा भरा जाना		निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन कर भरा जाना	
क.सं.	उपलब्ध कक्ष का प्रकार	माप मीटर में		माप मीटर में	
		लम्बाई	चौड़ाई	लम्बाई	चौड़ाई
1	2	3	4	5	6
1	कक्षा कक्ष				
2	कक्षा कक्ष				
3	कक्षा कक्ष				
4	कक्षा कक्ष				
5	कक्षा कक्ष				
6	कक्षा कक्ष				
7	कक्षा कक्ष				
8	कक्षा कक्ष				
9	कक्षा कक्ष				
10	कक्षा कक्ष				
11	कक्षा कक्ष				
12	कक्षा कक्ष				
13	कक्षा कक्ष				
14	कक्षा कक्ष				
15	कक्षा कक्ष				
16	कक्षा कक्ष				
17	कक्षा कक्ष				
18	कक्षा कक्ष				
19	कक्षा कक्ष				
20	कक्षा कक्ष				
21	कक्षा कक्ष				
22	कक्षा कक्ष				
23	कक्षा कक्ष				
24	कक्षा कक्ष				
25	कक्षा कक्ष				
26	कक्षा कक्ष				
27	कक्षा कक्ष				
28	कक्षा कक्ष				
29	कक्षा कक्ष				
30	कक्षा कक्ष				
31	कक्षा कक्ष				
32	कक्षा कक्ष				
33	कक्षा कक्ष				
34	कक्षा कक्ष				
35	कक्षा कक्ष				

36	कक्षा कक्ष				
37	कक्षा कक्ष				
38	कक्षा कक्ष				
39	कक्षा कक्ष				
40	कक्षा कक्ष				
41	कक्षा कक्ष				
42	कक्षा कक्ष				
43	कक्षा कक्ष				
44	कक्षा कक्ष				
45	कक्षा कक्ष				
46	कक्षा कक्ष				
47	कक्षा कक्ष				
48	कक्षा कक्ष				
49	कक्षा कक्ष				
50	कक्षा कक्ष				
51	कक्षा कक्ष				
52	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक कक्ष				
53	कार्यालय कक्ष				
54	अध्यापक कक्ष				
55	खेलकूद कक्ष				
56	भण्डार गृह				
57	सभा भवन				
58	पुस्तकालय				
59	भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला				
60	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला				
61	जीव विज्ञान प्रयोगशाला				
62	कृषि विज्ञान प्रयोगशाला				
63	गणित प्रयोगशाला				
64	कंप्यूटर प्रयोगशाला				
65	सहशैक्षिक गतिविधि कक्ष				

नोटः– बिन्दु संख्या 1 से 64 के कॉलम संख्या 2 से 4 संस्था सचिव द्वारा भरा जाना है एवं निरीक्षण दल द्वारा कॉलम संख्या 5 व 6 में सत्यापन किया जाना है।

विद्यालय के संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय सील

दल–प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)	दल सदस्य– प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य–द्वितीय(हस्ताक्षर)